


ए.11018 / 03 / 2021—एम.एच.2 / एन.सी.डी.—1

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
एनसीडी—1

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: .....अप्रैल, 2022  
जन—सूचना ०२ मई, 2022

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017 / 61 / 2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन—सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी.—I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई—मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।

  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन नंत्र 011—2306 2666

नई दिल्ली, तारीख:

2022

अधिसूचना

मा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अधिल भारतीय भौतिक चिकित्सा संस्थान, मुम्बई, वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहृता-** कोई भी व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:  
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	बयान पद या अवधान पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैशिक और अनुभवीय अवधारणा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी	02* (2022)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसाचिवाय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47,600 -1,51,100 रुपये)	चयन।	लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोत्तिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो यक्तियों के लिए विहित आयु और शैशिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली विकायों की प्रतिशतता	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती की किन परिस्थितियों में सच्च लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित,	बेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47,600 -1,51,100 रुपये)	चयन।	लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्टर-7 में पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की है और निम्नानुमार शेषिक्त अंतराल रखते हैं:-

(क) सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिग्री या

(ख) पुनर्वास नर्सिंग में अनुभव को वरियता दी जाएगी।

टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अंडक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्टति के लिए चिनार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी चिनार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अंडक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अंडक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अंडक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, आगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्टति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-वाले पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(ए.11018/03/2021-एमएच-II)

  
अवर सचिव, भारत सरकार